

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/17/ 42999-43189 दिनांक :- 08/08/17

आयुक्त, नगर निगम समस्त

आयुक्त, नगर परिषद समस्त

अधिकाधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत निकाय स्तर पर पी.आई.यू आउटसोर्सिंग किये जाने के संबंध में।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के सफल कियान्वयन हेतु निकाय स्तर पर पी.आई.यू आउटसोर्सिंग की जानी है। उक्त क्रम में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। निकाय स्तर पर पी.आई.यू हेतु NIC के माध्यम से स्वीकृत दरों पर तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार व आवश्यकतानुसार सेवायें ली जा सकेंगी।

1. एमआईएस एक्स्पर्ट निगम स्तर पर तीन, परिषद स्तर पर दो तथा निकाय स्तर पर एक
2. डाडा एन्ट्री आपरेटर निगम स्तर पर तीन, परिषद स्तर पर दो तथा निकाय स्तर पर एक

इसके अलावा निगम स्तर पर तीन, परिषद स्तर पर दो तथा निकाय स्तर पर एक (राजपत्रित अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ हो) को नियमानुसार रखा जाकर उससे स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी के रूप में कार्य लिया जावे।

नगर निकायों में ओडीएफ किये जाने हेतु नागरिकों को समझाइश करने हेतु स्वच्छतादूत/वॉलेन्टियर्स स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की तर्ज पर बड़ी निकायों में 10 का ग्रुप तथा छोटे शहरों में पांच का ग्रुप बनाया जाकर निकायों में इनकी सेवायें ली जा सकती हैं। इस हेतु प्रत्येक स्वच्छतादूत/ वॉलेन्टियर्स को रूपये 200 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मानदेय दिया जा सकता है। इन स्वच्छतादूत/वॉलेन्टियर्स के ग्रुप के प्रभारी, निकाय स्तर पर लगाये गये सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, जो कि स्वच्छतादूत/वालेन्टियर्स के कार्य का मूल्यांकन करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाय स्तर पर पी.आई.यू हेतु सर्विसेज आउटसोर्स हेतु RTPP Act & Rules की पालन सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करावे, इस हेतु आवश्यक राशि का व्यय स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के आईईसी एंव कैपेसिटी बिल्डिंग ए एण्ड ओ ई घटक से किया जा सकेगा।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 08/08/17

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/16/ 43190-195

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
3. मिशन निदेशक (शहरी) स्वच्छ भारत मिशन
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
5. मुख्य अभियंता निदेशालय।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकास विभाग, समस्त राजस्थान।

3/8
(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता